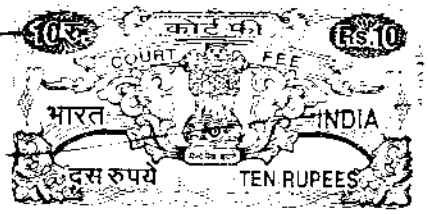

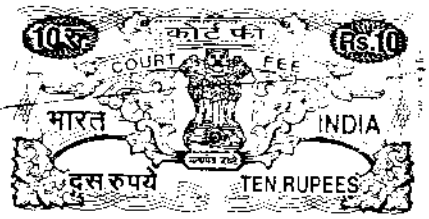

दस रुपये TEN RUPEES कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10

राजस्व द्वितीय अपील क्र0:- १९३

प्रस्तुति दिनांक :- ३०-१०-२०१३

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0

ग्वालियर के समक्ष .

(१) रतनसिंह पिता श्री सांवल जी ठाकुर
आयु ७७ वर्ष, धन्धा खेती

(२) प्रेमसिंह पिता श्री सांवल जी ठाकुर
मृतक तर्फे वारिसान :-

(अ) श्रीमती पार्वतीबाई पति प्रेमसिंह ठाकुर
उम्र ६६ वर्ष, धन्धा कृषि

(ब) लाखनसिंह पिता स्व0 प्रेमसिंह ठाकुर
उम्र ४२ वर्ष, धन्धा कृषि

(स) श्रीमती मन्नुबाई पति स्व0 सुनेरसिंह ठाकुर
उम्र ४१ वर्ष, धन्धा कृषि,

(३) केशरसिंह पिता सांवल ठाकुर
मृतक तर्फे वारिसान :-

(अ) श्रीमती रेशमबाई पति स्व0 केशरसिंह
उम्र ५७ वर्ष, धन्धा कृषि व गृह कार्य

(ब) श्रीमती नर्मदाबाई पति स्व0 केशरसिंह
उम्र ५२ वर्ष, धन्धा गृह कार्य व कृषि

(स) पूनमचन्द पिता स्व0 केशरसिंह
उम्र ४० वर्ष, धन्धा कृषि

(द) ओमप्रकाश पिता केशरसिंह
उम्र ३२ वर्ष, धन्धा कृषि

(ई) जितेन्द्र सिंह पिता केशरसिंह
उम्र ३०वर्ष, धन्धा कृषि
सभी निवासी ग्राम [illegible] तहसील
व जिला इन्दौर

(उ) ममताबाई पति जितेन्द्र सिंह
उम्र २८ वर्ष, धन्धा गृह कार्य
निवासी नागदा धार ---- अपीलार्थीगण

विरुद्ध

(१) कमलाबाई विधवा परमानन्द
उम्र ८२ वर्ष, धन्धा खेती
(२) गीताबाई पिता रामेश्वर
उम्र ५० वर्ष, धन्धा खेती
(३) कंचनसिंह पिता परमानन्द
उम्र ५४ वर्ष, धन्धा खेती
(४) कमल पिता परमानन्द
उम्र ५२ वर्ष, धन्धा खेती
(५) विमल पिता परमानन्द
मृतक तर्फे वारिसान :-
(अ) मंजुबाई पति विमल
उम्र ४६ वर्ष, धन्धा गृह कार्य
(ब) शैलेन्द्र पिता विमल
उम्र २४ वर्ष, धन्धा खेती
(स) अजय उर्फ अरुण पिता विमल
उम्र २२ वर्ष, धन्धा खेती
समस्त निवासी ग्राम रंगवासा
तहसील व जिला इन्दौर म०प्र०
(६) श्रीमती चन्दाबाई पति श्यामसिंह
उम्र नामालूम, धन्धा गृह कार्य
निवासी ३७, कृष्ण करिम नगर,
न्यू देवास भोपाल रोड, देवास म०प्र०
(७) श्रीमती सुगनाबाई पति बाबूसिंह
उम्र ४८ वर्ष, धन्धा गृह कार्य
निवासी शुजालपुर चौकी शुजालपुर

निवासी ५०६,रामाराम नगर, देवास

(६) श्रीमान सुरेश जोशी पटवारी महोदय
(रिटायर्ड) म0प्र0 शासन
कलेक्टर कार्यालय पीतोतकेा,इन्दौर
निवासी १।२, कुमावतपुरा,इन्दौर ---- रेस्पान्डेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा ४४ उप धारा (२)

म0प्र0 भू-राजस्व संहिता १६५६.

महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :-

श्रीमान कलेक्टर महोदय के राजस्व प्रकरण क्रमांक - १४४।अ-७४।११-१२ (रतनसिंह सोवल व अन्य विरुद्ध ल क्ष्मीबाई विधवा परमानन्द व अन्य) मे पारित आदेश दिनांक २८-३-२०१३ से असन्तुष्ट होकर श्रीमान अपर आयुक्त महोदय,इन्दौर संभाग इन्दौर को रा0 प्रथम अपील क्रमांक ४१२।अपील।२०१२-१३ (रतनसिंह विरुद्ध लक्ष्मीबाई) मे पारित आदेश दिनांक ३०-७-१३ से असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर सदर द्वितीय अपील तथ्यात्मक एवं वैधानिक आधारों एवं विधि सम्बन्धीप्रश्न पर निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 4504–दो / 2013 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19–6–2014	अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–7–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि जिला न्यायाधीश, इंदौर के बजावरी प्रकरण क्रमांक 3 / 77 / 90 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिवीजन क्रमांक 421 / 2001 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14–10–2010 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष दिया है कि प्रश्नाधीन आदेशों को उचित फोरम में उचित तरीके से चैलेंज करें । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध मे अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा दुरूस्ती का अधिकार कलेक्टर को है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित फोरम में	

A 4504-D/13 इंग

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशों के विरूद्ध उचित फोरम में उचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष